कार्यालय उप जिलाधिकारी, गरूड़

संख्या–388/वि0वि0पं0/क्षति0वृक्ष0रो0/2021 दिनांक 12 अप्रैल, 2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
बागेश्वर।

विषयः– **क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर को सम्बोधित एवं अन्य के साथ–साथ इस कार्यालय को भी पृष्ठांकित अपने कार्यालय पत्र संख्या 556/2 ई0व0भू0 दिनांक 12.03.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

उक्त पत्र के कम में जॉच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने बावत तहसीलदार गरूड़ को निर्देशित किया गया। प्रकरण पर तहसीलदार गरूड़ द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या 583/र0का0–लैण्ड बैंक–29/2020–21 दिनांक 12.04.2021 से अवगत कराया गया है कि जिला योजना के अर्न्तगत हवीलकुलवान से स्योकुणा ग्वालदम मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 किमी0 में कटी 2.03 है0 के बदले दोगुनी भूमि 4.06हे0 एवं राज्य योजना अर्न्तगत जनपद बागेश्वर में गढ़खेत मार्ग के स्थान पर सौलिया बजानी मजुलिया मोटर मार्ग निर्माण लम्बाई 3 किमी0 में कटी 2.148 है0 के बदले दोगुनी भूमि 4.296हे0 भूमि का चयन क्षतिपूरक बृक्षारोपण हेतु ग्राम कनस्यारी में चयनित 11.150 है0 भूमि में से प्रस्तावित की जा रही है। उक्त भूमि की जांच राजस्व विभाग की ओर से किशोर काण्डपाल राजस्व उपनिरीक्षक गरूड़, वन विभाग की ओर से श्री गुलाब सिंह कोरंगा वन दरोगा तथा लोक निर्माण विभाग की ओर से अनुज बर्मा कनिष्ट अभियन्ता के द्वारा सयुक्त रूप से किया गया। उक्त भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। उपरोक्त चयनित 11.150 है0 भूमि में से 4.06 है0 भूमि हवीलकुलवान से स्योकुणा ग्वालदम मोटर मार्ग हेतु तथा 4.296 है0 भूमि सौलिया बजानी से मजूलिया तक मोटर मार्ग हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी है जिसके कोर्डिनेट 29º53'15.8N o 79º40"98"F है। उक्त भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव मय नक्शा, खसरा एवं खतौनी उद्धरण के मूल में संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार मूल में 03 वर्क।

(जयवर्धन शर्मा)
उप जिलाधिकारी,
गरूड़

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उप जिलाधिकारी,
गरूड़